संख्या-70/2020/1187/26-3-2020/100(14)/1999टी.सी.

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0,
जवाहर भवन लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 12 मई 2020

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत मद्यनिषेध विभाग उ0प्र0 के मुख्यालय एवं मण्डलीय कार्यालय हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-840/पी0पी0/26-97/2019 दिनांक-05.05.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च 2020 जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अधीन अनुदान संख्या-80 के नशाबन्दी योजनान्तर्गत चालू कार्यक्रमों पर व्यय किये जाने हेतु लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-105-नशाबन्दी -03-अधिष्ठान-0301-मुख्यालय हेतु धनराशि रूपया-144.84 लाख (रूपये एक करोड़ चैवालीस लाख चौरासी हजार मात्र) तथा लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-105-नशाबंदी- 04-मण्डलीय कार्यालय हेतु धनराशि रू0-577.66 लाख (रूपये पांच करोड़ सतहत्तर लाख छाछठ हजार मात्र) अर्थात कुल प्राविधानित धनराशि रू0-722.50 लाख (रूपये सात करोड़ बाइस लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृतियां निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

अनुदान संख्या-80 **(धनराशि लाख रूपयों में)**

क्र. सं.	लेखाशीर्षक/योजना/मद का नाम	आय–व्ययक प्राविधान 2020–21	वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु स्वीकृत धनराशि
1	01–वेतन	78.39	78.39
2	03–मंहगाई भत्ता	19.60	19.60
3	04–यात्रा व्यय	1.00	1.00
4	05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.30	0.30
5	06–अन्य भत्ते	0.03	0.03
6	07–मानदेय	0.05	0.05
7	08–कार्यालय व्यय	2.00	2.00
8	11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.75	0.75
9	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.75	0.75
10	13–टेलीफोन पर व्यय	0.50	0.50
11	15–मोटर गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल खरीद	1.50	1.50
12	16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.30	0.30
13	19–विज्ञापन बिक्री एवं विख्यापन	2.50	2.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

14	22–आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता	1.00	1.00
15	42–अन्य व्यय	22.00	22.00
16	44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.50	0.50
17	45–अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1.00
18	47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	0.75	0.75
19	49–चिकित्सा व्यय	3.00	3.00
20	51–वर्दी व्यय	0.15	0.15
21	55–मकान किराया भत्ता	7.71	7.71
22	56–नगर प्रतिकर भत्ता	1.06	1.06
	योग–03	**144.84**	**144.84**
1	**04–मण्डलीय कार्यालय–**		
	01– वेतन	375.85	375.85
2	03– मंहगाई भत्ता	93.96	93.96
3	04– यात्रा व्यय	5.00	5.00
4	05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00	2.00
5	06– अन्य भत्ते	0.30	0.30
6	07– मानदेय	0.20	0.20
7	08– कार्यालय व्यय	2.50	2.50
8	09– विद्युत देय	3.00	3.00
9	10– जलकर/जल प्रभार	1.00	1.00
10	11–लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	2.10	2.10
11	12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.10	2.10
12	13– टेलीफोन व्यय	2.00	2.00
13	15–मोटरगाडियों का अनुरक्षरण एवं पेट्रोल की खरीद	5.50	5.50
14	16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.00	1.00
15	17– किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	7.00	7.00
16	26– मशीन सज्जा उपकरण एवं संयंत्र	2.25	2.25
17	29– अनुरक्षण	1.50	1.50
18	42– अन्य व्यय	21.00	21.00
19	44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.55	0.55
20	45–अवकाश यात्रा व्यय	3.00	3.00
21	47– कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का व्यय	1.00	1.00
22	49– चिकित्सा व्यय	5.50	5.50
23	51– वर्दी व्यय	0.20	0.20
24	55–मकान किराया भत्ता	33.91	33.91
25	56–नगर प्रतिकर भत्ता।	5.24	5.24

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

योग–04	577.66	577.66
महोयाग–03+04	**722.50**	**722.50**

(कुल रू0 सात करोड़ बाइस लाख पचास हजार मात्र)

(1) वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय संख्या-1/2020/ बी-1-149/ दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं चालू वित्तीय वर्ष में यथासमय निर्गत सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये। संभावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाये।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर उपलब्ध हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामले में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर मे जमा न की जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों/सेवाओं पर व्यय के लिए न किया जाये तथा शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का पुनर्विनियोग न किया जाये।

(4) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(5) पूर्व वर्षो में स्वीकृत धनराशियां यदि अभी भी पी0एल0ए0/बैंक खातों एवं पोस्ट आफिसों में जमा है तो उनका उपयोग सुनिश्चित करने तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्गत/प्राप्त होने पर ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किया जाये। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

(6) उपर्युक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस धनराशि का आहरण चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-105-नशाबन्दी-03-अधिष्ठान-0301-मुख्यालय तथा लेखाशीर्षक-2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-105-नशाबंदी-04-मण्डलीय कार्यालय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च 2020 द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0सं0-70 /2020/ 1187 (1)/26-3-2020/100(14)/1999 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0इलाहाबाद।
3- प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0इलाहाबाद।
4- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
5- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8- क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, मेरठ, उ0प्र0।
9- गार्डफाइल।

आज्ञा से

सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।